न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर संभाग भोपाल

/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/2483 (राजस्व मण्डल खण्डपीठ भोपाल (म0प्र0)
पुनरीक्षण आवेदन क्रमांक ---/2017

श्री एस.के. राम कोमराव 25-7-17 को पेश किया ... 25-7

नफीस खां पुत्र श्री अहमद खां उम्र 50 वर्ष,
निवासी/कृषक ग्राम मूरेलखुर्द तहसील व जिला
रायसेन (म0प्र0) -------- पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

कल्लू भाट आ0 भीका भाट उम्र 60 वर्ष,
निवासी/कृषक ग्राम मूरेलखुर्द तहसील व
हाल नि0 ताजपुर रोड अवंतिका कालोनी रायसेन
जिला रायसेन(म0प्र0) ------ उत्तरदाता

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

माननीय महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्न निवेदन है :-

उत्तरदाता कल्लू भाट द्वारा एक आवेदन संबंधित राजस्व निरीक्षक वृत सांचेत तहसील व जिला रायसेन को अपनी स्वयं की भूमि खसरा क्रमांक 65/1 रकबा 1.113 हे. पटवारी हल्का नं. 54 स्थित भूमि ग्राम मूरेलखुर्द तहसील व जिला रायसेन का सीमांकन कराने हेतु आवेदन दिया जो कि प्र0क्र0 32/अ- 12 /2016-17 पंजीबद्ध होकर दिनांक 18-5-17 को सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक मण्डल सांचेत तहसील व जिला रायसेन द्वारा आदेश पारित किया गया उक्त आदेश के पालन मे दिनांक 28-5-17 को सीमांकन व सीमांकन संबंधी अन्य दस्तावेज तैयार कर सीमांकन कराया गया जिससे परिवेदित होकर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय मे निम्न तथ्यो एवं आधारो पर आधारित होकर पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है :-

पुनरीक्षण के तथ्य

उत्तरदाता कल्लूभाट द्वारा एक आवेदन संबंधित राजस्व निरीक्षक मण्डल सांचेत तहसील व जिला रायसेन को अपनी स्वयं की भूमि स्थित ग्राम मूरेलखुर्द खसरा क्रमांक 65/1 रकबा 1.113 हे0 प.ह.

निरंतर...

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

### अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक **PBR/**निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/2483

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 4-7-2018 | उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक को सुना गया । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व निरीक्षक, सांचेत तहसील व जिला रायसेन द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/अ-12/2016-17 दर्ज कर दिनांक 18-5-17 को सीमांकन के आदेश दिये गये एवं दिनांक 28-5-17 को सीमांकन कार्यवाही की पुष्टि की गई, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।<br>2/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों को सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करना था, परन्तु उनके द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अत: प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लेखित आधारों एवं अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि राजस्व निरीक्षक के अभिलेख से स्पष्ट है कि सीमांकन हेतु दिनांक 27-5-18 नियत की गई थी, किन्तु इस सम्बन्ध में आवेदक एवं पड़ोसी कृषकों को सूचना पत्र की तामील नहीं कराई गई है और दिनांक 27-5-18 को सीमांकन नहीं कर, दिनांक 28-5-18 बिना सूचना दिये उनके पीठ पीछे सीमांकन किया गया है । यह आधार भी लिया गया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 129 के प्रावधानों के विपरीत सीमांकन किया गया है, जो कि विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।<br>3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उललेखित आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के प्रकरण में सूचना पत्र संलग्न है, जिसमें आवेदक द्वारा सूचना पत्र लेने से इंकार किये जाने का उल्लेख है । इस प्रकार राजस्व निरीक्षक द्वारा समस्त हितबद्ध व्यक्तिों को सूचना दी जाकर, स्थायी सीमा चिन्हों से विधिवत सीमांकन किया जाकर पंचनामा बनाया गया है, जिस पर उपस्थित पंचों के हस्ताक्षर है । अत: इस सम्बन्ध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थिति राजस्व निरीक्षक का आदेश स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।<br>अध्यक्ष | |